SCD-SPL-GRADE

जिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 35]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 24, 2014/माघ 4,1935
No. 35]	NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 24, 2014/MAGHA 4, 1935

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 जनवरी, 2014

सा.का.नि. 52(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय में स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** – (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी) समूह 'ख' पद भर्ती नियम, 2014 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान**- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि** – उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **निरर्हता** : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति** - जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. **व्यावृत्ति** - इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार चालक (विशेष श्रेणी)	5* (2014) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड -2, 9300-34,800/- रु. + ग्रेड वेतन 4200/- रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	2 वर्ष	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: प्रवर्तन निदेशालय में ऐसे स्टाफ कार चालक श्रेणी-I जिसने वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 2800 रु. में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की हो। **टिप्पण** : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। **टिप्पण — 2** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केंद्रीय	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के लिए) जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :- (i) निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय - अध्यक्ष (ii) विशेष/अतिरिक्त निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय - सदस्य (iii) निदेशक या उप सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय – सदस्य	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।		

[फा.सं. ए-12018/9/2012-ए डी. ई डी]
आर. एन. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th January, 2014

G.S.R. 52 (E). — In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Special Grade) in the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, namely :-

1. **Short title and commencement.** — (1) These rules may be called Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Staff Car Driver (Special Grade), Group 'B' Post, Recruitment Rules, 2014.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.** — The number of said post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.** – No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax .**— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.** — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay band and grade pay or pay scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Staff Car Driver (Special Grade)	5*(2014) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'B' Non-Gazetted, Non Ministerial	Pay band-2- Rs.9300-34800 plus grade pay of Rs. 4200	Non-selection	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	**Method of recruitment** whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Two years	By promotion

In case of recruitment by promotion / deputation / absorption, grades from which promotion/deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruits
(11)	(12)	(13)
Promotion :- Staff Car Driver Grade-I in pay band-1, Rs. 5200-20200 plus grade pay of Rs. 2,800 with three years regular service in the grade in the Directorate of Enforcement rendered after appointment thereto on a regular basis. **Note:-1** Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note:2** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006 or the date from which the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.	**Group 'B' Departmental Promotion Committee (for promotion) consisting of :—** 1. Director of Enforcement -Chairman 2. Special/Additional Director of Enforcement -Member 3. Director/Deputy Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

[F. No. A-12018/9/2012-Ad.ED]

R. N. SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SCD QD-I, II

राजस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221] नई दिल्ली, बुधवार, मई 8, 2013/वैशाख 18, 1935

No. 221] NEW DELHI, WEDNESDAY, MAY 8, 2013/VAISAKHA 18, 1935

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2013

सा.का.नि. 291(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और प्रवर्तन निदेशालय (स्टाफ कार ड्राइवर) भर्ती नियम, 1973 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले करने का लोप किया गया है, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय में स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **लागू होना**—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. **पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.**—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.**—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

5. **निरर्हता :** वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

6. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

7. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी)	29*(2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, (अननुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, (5200—20200 रुपए) + ग्रेड वेतन 1900 रु.	चयन	21 से 28 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।) **टिप्पण 1 :** आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम,जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) **टिप्पण 2 :** रोजगार कार्यालयों के माध्यम से उन पदों की बाबत जिन पर नियुक्ति की दशा में प्रत्येक मामले में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
(क) (i) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रीकुलेशन या सैकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र या समतुल्य; (ii) किसी राज्य सड़क परिवहन प्राधिकारी द्वारा जारी विधिमान्य ड्राइविंग अनुज्ञप्ति रखता हो और हल्के मोटर यान और तिपहिया यान ड्राइव करने के लिए प्राधिकृत हो ; और (iii) यान यांत्रिकी का ज्ञान रखता हो (अभ्यर्थी यान की छोटी त्रुटियों को दूर करने में समर्थ हो ।);	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती हुए व्यक्ति के लिए दो वर्ष

(7)	(8)	(9)
(ख) सीधे भर्ती किए व्यक्ति चार और तिपहिया यान के ड्राइविंग में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव रखते हों और ड्राइविंग परीक्षण में अर्हता प्राप्त करेंगे।		

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।	**प्रोन्नति :** वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग में ऐसे नियमित समूह 'ग' कर्मचारी (अर्थात् सिपाही और बहुकार्य कर्मचारिवृन्द) जो प्रवर्तन निदेशालय में कार्यरत हैं और हल्के मोटर यान और तिपहिया यान के ड्राइविंग के लिए विधिमान्य अनुज्ञप्ति रखते हैं तथा सरकार द्वारा यथाविहित समुचित मानक का व्यवसायिक परीक्षण पास करने के अध्यधीन हैं। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभागों या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों या निगमों के अधीन ऐसे ड्राइवर : (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ii) स्तंभ (7) के अधीन सीधी भर्ती के लिए विहित अर्हता और अनुभव रखते हैं । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है) नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर विस्तारित होगा जिसके लिए ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन का साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध	लागू नहीं होता ।

(12)		(13)
में विचार के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—		
1. प्रवर्तन निदेशक	—अध्यक्ष	
2. विशेष या अपर प्रवर्तन निदेशक	—सदस्य	
3. निदेशक या उप सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय	—सदस्य	

[फा. सं. ए-12018/6/2012 एडी. ईडी]

आर. एन. सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

New Delhi, the 8th May, 2013

G.S.R. 291(E) .—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Directorate of Enforcement (Staff Car Drivers) Recruitment Rules, 1973, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Ministry of Finance, Directorate of Enforcement, Department of Revenue, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Staff Car Drivers Group (Ordinary Grade) 'C' Post, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—(1) These rules apply to the posts specified in column (1) of Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification.** —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay Band and Grade Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sraff Car Driver (Ordinary Grade)	29* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs.5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 1900	Selection	Between 21 and 28 years. (Relaxable for Government servants up to 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.

(6)
Note 1 : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates except for those residing in Assam Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep. **Note 2 :** In the case of recruitment made through the Employment Exchange, the crucial date for determining of the age limit shall be last date up to which the Employment Exchange is allowed to submit the names.

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any
(7)	(8)	(9)
(a) (i) Matriculation or Secondary School Certificate or equivalent from a recognised Board; (ii) Shall possess a valid driving license issued by Road Transport Authority of any State and authorised to drive Light Motor Vehicles and three wheeler; and (iii) Shall have knowledge of motor machanis (the candidate should be able to remove minor defects invehicles). (b) The direct recruits shall have at least three years experience in driving four and three wheeler vehicle and shall qualify the test in driving.	Not applicable	Two years for direct recruits.

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made
(10)	(11)
By promotion failing which by deputation and failing both by direct recruitment	**Promotion :** Promotion from Group 'C' regular employees (i.e., Sepoys and Multi Tasking Staff) working in the Directorate of

(11)

Enforcement, Department of Revenue, Ministry if Finance and possessing a valid motor vehicle driving licence for driving light motor vehicle and three wheeler vehicle subject to passing a Trade Test of appropriate Standard as prescribed by the Government.

Deputation : Drivers of Central Government or State Government Departments or Public Sector Undertakings or Autonomous Organisations or Corporations :

(i) holding analogous post on regular basis; and

(ii) possessing the qualification and experience prescribed for direct recuits under column (7).

Note 1 : The Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 2 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger or more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replecement grade without any upgradation.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making direct recruitment.
(12)	(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation also) consisting of : (i) Director of Enforcement —Chairman (ii) Special or Additional Director of Enforcement —Member (iii) Director or Deputy Secretary of Department of Revenue, Ministry of Finance —Member	Not applicable.

[F. No. A-12018/6/2012-Ad.ED]

R. N. SINGH, Under Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2013

सा.का.नि. 292(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्व विभाग, प्रवर्तन निदेशालय में स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I और श्रेणी-II) समूह 'ग' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, प्रर्वतन निदेशालय, स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I और श्रेणी-II) समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2013 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. लागू होना.—ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे ।

3. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. आरंभिक गठन.—अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद को धारण किए हुए ऐसे पदधारी जो इन नियमों के प्रारंभ से पहले नियमित आधार पर नियुक्त थे, अपनी अपनी श्रेणियों में इन नियमों के प्रारंभ के ठीक पूर्व नियुक्त समझे जाएगे तथा परिवीक्षा की अवधि, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टि और पेंशन के प्रयोजन के लिए विचार किए जाएगे ।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं, आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

6. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

7. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

8. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-I)	33*(2013) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, (अनुसचिवीय)	वेतन बैंड-1, 5200-20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2800 रु.	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा

(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा	**प्रोन्नति :** वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के प्रवर्तन निदेशालय में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर(श्रेणी-II) जिनकी वेतन बैंड-1 5200-20200 रु.+ ग्रेड वेतन 2400 रु. की श्रेणी मे नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वहाँ पाँच वर्ष की सेवा है जिसके न हो सकने पर ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) जिनकी स्टाफ कार ड्राइवर(श्रेणी-II) और स्टाफ कार ड्राइवर (साधारण श्रेणी) की श्रेणी में तेरह वर्ष की सम्मिलित सेवा है और निम्नलिखित व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त होगे ; (i) अंग्रेजी अंकों और आकृतियों को पढ़ने में अवश्य समर्थ हों; (ii) यातायात के नियमों और विनियमों का अच्छा ज्ञान अवश्य हो, (iii) पैट्रोल और डीजल ईंजिनों के कार्यकरण की अच्छी जानकारी अवश्य हो और दोषों का पता लगाने में अवश्य समर्थ हो और छोटी त्रुटियों को अवश्य दूर कर सकें; और (iv) कार्बयूरेटर, प्लग आदि को साफ करने में अवश्य समर्थ हो । **परीक्षण :** उपरोक्त पर आधारित व्यावहारिक परीक्षण होगा । **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा,अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो । **टिप्पण 2 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर जिनके लिए ग्रेड वेतन, बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफॅारिशें पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (i) प्रवर्तन निदेशक —अध्यक्ष (ii) विशेष या अपर प्रवर्तन निदेशक —सदस्य (iii) निदेशक या उप सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं होता ।

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन पद है अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी–II)	29*(2013) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड–1, 5200–20200 रुपए + ग्रेड वेतन 2400 रु.	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
प्रोन्नति द्वारा जिनके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा	**प्रोन्नति :** वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग के प्रवर्तन निदेशालय में ऐसे स्टाफ कार ड्राइवर (श्रेणी-II) जिनकी वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. + ग्रेड वेतन 1900 रु. की श्रेणी मे नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वहाँ आठ वर्ष की सेवा है और निम्नलिखित व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त होगे, अथर्त् :— (i) अंग्रेजी अंकों और आकृतियों को पढ़ने में अवश्य समर्थ हों; (ii) यातायात के नियमों और विनियमों का अच्छा ज्ञान अवश्य हो; (iii) पैट्रोल और डीजल इंजिनों के कार्यकरण की अच्छी जानकारी अवश्य हो और दोषों का पता लगाने और छोटी त्रुटियों को दूर करने में अवश्य समर्थ हो; (iv) कार्बयूरेटर, प्लग आदि को साफ करने में अवश्य समर्थ हो। **परीक्षण :** उपरोक्त पर आधारित व्यावहारिक परीक्षण होगा। **टिप्पण 1 :** जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जबकि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

(10)	(11)
	टिप्पण 2 : प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए किसी अधिकारी द्वारा, 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) पर जिनके लिए ग्रेड वेतन, बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है, विस्तारित होगा, वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी । **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के विभाग या लोक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त संगठनों या निगमों के ड्राइवर : (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; और (ii) जिनकी वेतन बैंड-1 5200-20200 रु. ग्रेड वेतन 1900 रु. या समतुल्य श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात वहाँ आठ वर्ष की नियमित सेवा और निम्नलिखित व्यावसायिक परीक्षण में अर्हता प्राप्त होगें, अर्थात् :– (i) अंग्रेजी अंकों और आकृतियों को पढ़ने में अवश्य समर्थ हों; (ii) यातायात के नियमों और विनियमों का अच्छा ज्ञान अवश्य हो ; (iii) पैट्रोल और डीजल इंजिनों के कार्यकरण की अच्छी जानकारी अवश्य हो और दोषों का पता लगाने में अवश्य समर्थ हो और छोटी त्रुटियों को अवश्य दूर कर सके ; और (iv) कार्बयूरेटर, प्लग आदि को साफ करने में अवश्य समर्थ हो । **परीक्षण :** उपरोक्त पर आधारित व्यावहारिक परीक्षण होगा । **टिप्पण 1 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 3 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से पहले या उस तारीख से जिससे छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, नियमित आधार पर की गई सेवा को, सिवाय उस दशा के जहाँ एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का साधारण ग्रेड वेतन या वेतनमान सहित एक श्रेणी में विलय हो गया है और वहाँ यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) जिनके लिए ग्रेड वेतन बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थान ग्रेड है विस्तारित होगा वेतन आयोग की सिफारिश पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान पर की गई सेवा समझी जाएगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :— (i) प्रवर्तन निदेशक —अध्यक्ष (ii) विशेष या अपर प्रवर्तन निदेशक —सदस्य (iii) निदेशक या उप सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय —सदस्य	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. ए-12018/6/2012-एडी. ईडी]
आर. एन. सिंह, अवर सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th May, 2013

G.S.R. 292(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution the President hereby makes the following rules to regulate the method of recruitment of Group 'C' posts of Staff Car Driver (Grade-I and Grade-II) in the Directorate of Enforcement, Department of Revenue, namely :—

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Ministry of Finance, Department of Revenue, Directorate of Enforcement, Staff Car Driver (Grade-I and Grade-II), Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.**—(1) These rules shall apply to the posts specified in columns (1) of Schedule annexed to these rules.

3. **Number of posts, classification, pay band and grade pay or pay scale.**—The number of posts, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.

4. **Initial Constitution.**—The incumbents holding the posts specified in the Schedule, who were appointed to the posts before the commencement of these rules on regular basis shall be deemed to have been appointed under the provisions of these rules in the respective grades immediately before the commencement of these rules, shall be taken into account for the purposes of probation period, qualifying service for promotion, confirmation and pension in the service.

5. **Method of recruitment, age limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

6. **Disqualification.** —No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

7. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

8. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time.

SCHEDULE

Name of post.	Number of posts.	Classification.	Pay Band and Grade Pay.	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Staff Car Driver (Grade–I)	33* (2013) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non- Ministerial.	Pay Band –I, Rs. 5200–20,200 plus Grade Pay of Rs. 2800	Non-Selection	Not applicable	Not applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotee	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making direct recruitment
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Not applicable.	By promotion.	**Promotion : -** Staff Car Driver (Grade-II) with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the pay band-1 of Rs. 5200-20,200 with grade pay of Rs. 2400 failing which Staff Car Driver (Grade-II) with thirteen years combined regular service in the grades of Staff Car Driver (Grade-II) and Staff Car Driver (Ordinary Grade) in the Directorate of Enforcement, Department of Revenue, Ministry of Finance and shall qualify Trade Test in the following namely :— (i) must be able to read English numerals and figures; (ii) must have a thorough knowledge of traffic rules and regulations;.	Group 'C' Departmental Promotion Committee comprising of:— (i) Director of Enforcement—Chairman (ii) Special or Additional Director of Enforcement—Member (iii) Director or Deputy Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance—Member	Not applicable

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			(iii) must have good knowledge of petrol and diesel engines and be able to locate faults and rectify minor defects; and (iv) must be able to clean carburettor, plug etc. Tests: Practical test based on the above. **Note1 :** Where juniors have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. **Note 2 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the		

(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
			said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sraff Car Driver (Grade-II)	29* (2013) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-1, Rs.5200—20200 plus Grade Pay of Rs. 2400	Selection	Not applicable

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Promotion failing which by deputation.	**Promotion :** Staff Car Driver (Ordinary Grade) with eight years' service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-I of Rs. 5200-20,200 with Grade Pay Rs. 1900 in the Directorate of Enforcement, Department of Revenue, Ministry of Finance and shall qualify Trade Test in the following namely :— (i) must be able to read English numerals and figures; (ii) must have a thorough knowledge of traffic rules and regulations; (iii) must have good knowledge of petrol and diesel engines and be able to locate faults and rectify minor defects; and (iv) must be able to clean carburettor, plug etc. **Tests :** Practical test based on the above.

(10)	(11)

Note 1 : Where juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Note 2 : For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except, where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post (s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

Deputation :

Drivers of Central Government or State Government Departments or Public Sector Undertakings or Autonomous Organisations or Corporations: ;
(i) holding analogous regular basis; or
(ii) with eight years' regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the Pay Band-1, of Rs. 5200-20,200 with Grade Pay of Rs. 1900 or equivalent and shall qualify TradeTest in the following namely:-

(i) must be able to read English numerals and numbers;

(ii) must have a thorough knowledge of traffic rules and regulations;

(iii) must have good knowledge of petrol and diesel engines and be able to locate faults and rectify minor defects; and

(iv) must be able to clean carburettor, plug etc.

Tests : Practical test based as the above.

Note 1 : The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.

Note 2 : The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying

	(11)
	Note 3 : For the purpose of computing minimum qualifying service for deputation, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006 or the date from which the revised pay structure based on the recommendations of the Sixth Central Pay Commission has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the said Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.

(12)		(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee Comprising of :		Not applicable.
(i) Director, of Enforcement	—Chairman	
(ii) Special or Additional Director, of Enforcement	—Member	
(iii) Director or Deputy Secretary of Department of Revenue, Ministry of Finance	—Member	

[F. No. A-12018/6/2012-Ad.ED]
R. N. SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.